मु.नं.–29/2020 GCMS ID-2020/00057 ता.रजु–04.08.2020

न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर मुकाम करौली

पीठासीन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिहाग, आई.ए.एस.

जसवंत मीना पुत्र प्रभुलाल मीना निवासी मांच, तहसील करौली जिला करौली – अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, करौली – प्रत्यर्थी

अपील अंतर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005

निर्णय

दिनांक–07.09.2020

1. प्रत्यर्थी द्वारा प्रेषित जवाब पर अपीलार्थी द्वारा आपत्ति किये जाने एवं अपीलार्थी को सुनवाई हेतु दिनांक 19.08.2020, 26.08.2020 को उपस्थित होने हेतु अवसर दिये जाने के कारण अपील के निस्तारण में विलम्ब हुआ है।
2. अपीलार्थी उपस्थित नहीं।
3. प्रत्यर्थी उपस्थित।
4. पत्रावली का अवलोकन किया गया।
5. अपीलाण्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रत्यर्थी को आवेदन पत्र प्रेषित कर राजस्थान संपर्क पोर्टल में दर्ज शिकायत संख्या 07190305991130 दिनांक 18.07.2019 में रसद विभाग करौली द्वारा की गई टिप्पणी 'प्रकरण में राशन डीलर की जांच करने पर अनियमितता पायी गई जिसके कारण उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई है एवं अस्थायी राशन डीलर को नियम अनुसार वितरण करने को पाबंद कर दिया गया है" के संबंध में दर्ज कराई गई एफआईआर की प्रति, आदेशिका, झूंठी रिपोर्ट करने वाले अधिकारी का नाम व पद आदि कुल 6 बिन्दुओं की सूचना चाही गई है, जिसे प्रत्यर्थी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह प्रथम अपील पेश की है।
6. प्रत्यर्थी ने पत्रांक–रसद/आरटीआई/2020–21/1268 दिनांक 07.08.2020 से अवगत करवाया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना, पत्रांक–1265 दिनांक 06.08.2020 से रजिस्टर्ड डाक से अपीलार्थी को भिजवा दी गई है जिसकी प्रति संलग्न प्रेषित की है। उक्त जवाब पर अपीलार्थी द्वारा आपत्ति प्रेषित की गई जिनके जवाब में अपीलार्थी को पुनः पत्रांक 1868–69 दिनांक 04.09.2020 द्वारा सूचना प्रेषित कर दी गई है। अंत में अपील को खारिज फरमाने का निवेदन किया है।
7. संलग्न जवाब का अवलोकन किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को उनके कार्यालय में उपलब्ध सूचना, उपलब्ध करवा दी गई है। जिस पर अपीलार्थी द्वारा कोई प्रतिक्रिया पेश नहीं की गई है। इससे यह प्रतीत होता है कि प्रत्यर्थी द्वारा उपलब्ध करवायी गई सूचना से अपीलार्थी संतुष्ट है।
8. प्रत्यर्थी द्वारा अपने कार्यालय में उपलब्ध सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध करवा दिये जाने एवं अपने विनिश्चय से अवगत करवा दिये जाने तथा अपीलार्थी द्वारा अन्यथा कोई प्रतिकार पेश नहीं किये जाने से प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं है।
9. अस्तु अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है।
10. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
11. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
12. निर्णय आज दिनांक 07.09.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर
करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Sidharth Sihag
Date: 2020.09.11 18:04:40 IST
Reason: SelfAttested